

न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व न्यायालय सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा म.पु.



1. रामायण प्रसाद पाण्डेय तनय स्व.श्री रामसुंदर पाण्डेय, निवासी ग्राम अंतरैला उम्र-50 वर्ष, तहसील जवा, थाना अंतरैला, जिला रीवा म.पु.
2. जगदीश प्रसाद आदिवासी तनय रामप्रसाद कोल, निवासी ग्राम कोटवा, तह. जवा, जिला रीवा म.पु.

--- निगरानीकर्ता गण

RS455II116

बनाम

1. विष्णु प्रसाद तिवारी तनय स्व.श्री रामसजीवन तिवारी, नि.ग्राम अंतरैला थाना अंतरैला, जिला रीवा म.पु.
2. म.प्र. शासन द्वारा तहसीलदार तह.जवा जिला रीवा म.पु.

---- गैर निगरानीकर्ता गण

अधिवक्ता श्री महातारापण  
यतुवेदी डाटा प्रसाद  
07-10-16

प्रस्तुत किये जाने निगरानी विस्तर स्व.प्रेषणा

निगरानी अंतिम आदेश दिनांक 16.9.2016

प्र.क्र. 183-19/स्वमेव निगरानी/2013-14

पीएसडी अधिकारी अपर कलेक्टर रीवा म.पु.

प्रस्तुत निगरानी बावत किये जाने अपास्त उपरोक्त

आदेश एवं दर्ज किये जाने म.प्र. शासन निगरानी शुद्धा

भूमि क्र. 2/2 रकबा 3.14ए. स्थित आराजी ग्राम

कोटवा ज.नं. 89 तहसील जवा जिला रीवा म.पु.

के संबंध में। निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.पु. भू.रा.सं.

मान्यवर,

प्रस्तुत निगरानी के आधार निम्न है :-

यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधीय एवं क्रिया के विपरीत


रामायण प्रसाद पाण्डेय ...2//

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-5455-II/16

जिला-रीवा

रामायण प्रसाद पाण्डेय/विष्णू प्रसाद तिवारी

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री यज्ञनारायण चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 18/अ-19/स्व0मेव निगरानी/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 16.09.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">M</p> <p style="text-align: right;">             (बी.एम.शर्मा),            सदस्य         </p>	